



कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून -248001

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com



पत्रांक- अ0आ0उ0यो0/2019-20/193

दिनांक 25 मई 2019

कारण बताओ नोटिस

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना-राज्य स्वास्थ्य अभिकरण, के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने से सम्बन्धित क्रियान्वयन सहायता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों एवं प्रमाणों का परीक्षण करने के उपरांत विदित हुआ कि जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा निम्न वर्णित बिंदुओं के अनुसार अनियमितताएँ, अनुबन्ध का उल्लंघन, धोखाधड़ी, षडयंत्र एवं दुरभि सन्धि किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है :-

- 1- जसपुर मेट्रो चिकित्सालय के अभिलेखों की जाँच उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत आतिथि दिनांक 16.05.2019 तक कुल 67 मरीजों द्वारा उपचार प्राप्त किया गया है परन्तु नीचे दी गई तालिका के अनुसार 26 मरीजों की सर्जरी/उपचार प्री-आथ से पूर्व ही कर दी गई है, जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 4 पैरा 2(ii) निम्न प्रावधान है-

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure,

Para 2. Pre-authorization, (ii). No EHCP shall, under any circumstances whatsoever, undertake any such earmarked procedure without pre-authorization unless under emergency. Process for emergency approval will be followed as per guidelines laid down under ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND."

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधानित है-

"Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ..."

जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा अनुबन्ध की उक्त शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। Planned Cases में Preauthorization से पूर्व ही सर्जरी की गयी है तथा Emergency Cases में बिना TPIN लिये pre-authorization से पूर्व सर्जरी की गयी है। इस प्रकार जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल का यह कृत्य मरीजों के उपचार में धोखाधड़ी का संदेह भी उत्पन्न करता है।

Table: List of Cases where Surgery/Treatment done before Preauthorization Initiation

S.N o.	Case No	NHPM Id	Sex	Age	Procedure Name	Preauth Date	Surgery Date	Planned / Emergency
1.	CASE/HOSP5 P86358/E15926	P9IWNFSGD	F	45	Breast Lump - Left - Excision	12-03-2019	10-03-2019	P
2.	CASE/HOSP5 P86358/D18468	PIPO8KEQC	F	29	High risk delivery: Expected Gestation at delivery less than 35 weeks	18-03-2019	15-03-2019	E
3.	CASE/HOSP5 P86358/E18697	PBAJ4LJ4S	F	54	Cholecystostomy	18-03-2019	16-03-2019	P
4.	CASE/HOSP5 P86358/D18710	PT7KHU5B	F	79	Cholecystostomy	18-03-2019	15-03-2019	P
5.	CASE/HOSP5 P86358/D18312	PD9Q51NV	F	48	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy	20-03-2019	18-03-2019	E
6.	CASE/HOSP5 P86358/D21221	PKIM8628F	F	50	Cholecystostomy	21-03-2019	18-03-2019	E
7.	CASE/HOSP5 P86358/D21227	PTFL79ZY2	M	66	Cholecystostomy	21-03-2019	17-03-2019	P
8.	CASE/HOSP5 P86358/E22290	PWGLBSL8W	F	59	Cholecystostomy	22-03-2019	19-03-2019	P
9.	CASE/HOSP5 P86358/S18437	P5SQHQ4FV	F	50	Cholecystostomy	23-03-2019	18-03-2019	E
10.	CASE/HOSP5 P86358/S22534	P35050JIN	M	15	Adhenolysis + Appendicectomy	23-03-2019	19-03-2019	P
11.	CASE/HOSP5 P86358/D23693	PY7XEPMYQ	F	34	Hernia - Umbilical	26-03-2019	23-03-2019	P
12.	CASE/HOSP5 P86358/D23702	PXWJQEMJ7	F	31	Cholecystostomy	27-03-2019	23-03-2019	E
13.	CASE/HOSP5 P86358/E28110	PKJ9JYQA8	F	72	Cholecystostomy	27-03-2019	26-03-2019	P
14.	CASE/HOSP5 P86358/D27268	PHU8TISW2	F	46	Adhenolysis+ Ovarian Cystectomy	30-03-2019	26-03-2019	P
15.	CASE/HOSP5 P86358/D39576	PJ9ZPR0QE	F	23	Caesarian Delivery	04-04-2019	03-04-2019	P
16.	CASE/HOSP5 P86358/S44016	PR2LPCH34	F	45	Cholecystostomy	08-04-2019	05-04-2019	P
17.	CASE/HOSP5 P86358/D56355	P5JYVBPAQ	F	32	Hysterectomy ± Salpingo-oophorectomy	19-04-2019	13-04-2019	P
18.	CASE/HOSP5 P86358/D58713	PXUFZKMLF	F	20	Caesarian Delivery	20-04-2019	18-04-2019	P
19.	CASE/HOSP5 P86358/D63235	PQO1NSJ5H	F	29	Caesarian Delivery	23-04-2019	19-04-2019	P

20.	CASE/HOSP5 P86358/E6817 1	P2RX9AWZ U	F	65	#N/A	26-04- 2019	24-04-2019	P
21.	CASE/HOSP5 P86358/E7026 9	PTJS5SD2E	F	32	#N/A	28-04- 2019	25-04-2019	P
22.	CASE/HOSP5 P86358/D7036 3	P2W91FWL B	F	34	#N/A	29-04- 2019	26-04-2019	P
23.	CASE/HOSP5 P86358/D7258 7	P43876MAK	F	44	#N/A	30-04- 2019	29-04-2019	P
24.	CASE/HOSP5 P86358/D6826 0	PH4MC4ZJ 7	F	62	#N/A	30-04- 2019	24-04-2019	E
25.	CASE/HOSP5 P86358/D7300 6	PIZ4BXGC4	F	24	#N/A	01-05- 2019	30-04-2019	P
26.	CASE/HOSP5 P86358/D7660 5	PJ2VSC8C Y	F	68	#N/A	02-05- 2019	30-04-2019	P

2. जसपुर मेट्रो चिकित्सालय में उपचारित कुल 18 मरीजों से दूरभाष पर (Recorded) वार्ता करने उपरान्त निम्न 15 मरीजों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा रोग का निःशुल्क (cashless) ईलाज न करते हुए उनसे धनराशि ली गई है।

क्र०स०	नाम	कार्ड संख्या	प्री-ऑथ एमाउन्ट (रूपये में)	चिकित्सालय द्वारा अवैधानिक शुल्क जो मरीज से प्राप्त किया गया (रूपये में)
1.	नजमा	P9IWNFSGD	5000/-	5000/-
2.	उर्मिला	PBAJ4LJ4S	10,000/-	9,000/-
3.	राजेशबरी	PMSZR16AR	20,000/-	6500/-
4.	महाजबी परवीन	PM42Q7JZ4	3600/-	1900/-
5.	जाहिदा खातून	PKIM8628F	10,000/-	20,000/-
6.	अनिषा परवीन	P5SQHQ4FV	10,000/-	9,000/-
7.	आमिर हुसैन	PM7MRPRIB	36,00/-	20,000/-
8.	लखन सिंह	P381TMBCP	18,000/-	1,000/-
9.	मधुरमा	PX8TSRIY8	9,000/-	9,000/-
10.	गुलशन जहां	PGABG4E5U	9,000/-	9,000/-
11.	अमर सिंह चौहान	P658IP8LW	9,000/-	7,500/-
12.	विमला	PQ9ZOKUON	18,000/-	10,000/-
13.	सीमा	P5JYVBPAQ	7,200/-	17,000/-
14.	परवीन जहां	PN3P7SVY3	9,000/-	600/-
15.	सीमा	PD9Q51NJV	20,000/-	16,000/-

इससे स्पष्ट होता है कि चिकित्सालय द्वारा तालिका में वर्णित समस्त रोगियों से जाँचों, दवाईयों एवं सर्जरी हेतु अवैध रूप से शुल्क लिया गया है। साथ ही उपरोक्त रोगियों के क्लेम भी टी0एम0एस0 में भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत रोगी को केशलेश सेवाएं दी जाती हैं। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 8, पैरा 2 एवं एनेक्सर 5, पैरा 1ए के अनुसार

“Section 8: General responsibilities & obligations of the EHCP,

Para 2: The EHCP shall provide **cashless facility** to the beneficiary in strict adherence to the provisions of the agreement.”

“Annex 5: Process of Delivery of Benefits, Claim reporting and Submission

Para 1a. Cashless Access of Services (a) The ATAL AYUSHMAN UTTARAKHAND beneficiaries shall be provided treatment free of cost for all such ailments covered under the Scheme within the limits/ sub-limits and benefit limit, i.e., not specifically excluded under the Scheme.”

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा लाभार्थियों से अवैध रूप से धनराशि वसूल करने के साथ-साथ क्लेम पैकेज के अनुसार क्लेम की धनराशि भी प्राप्त करने हेतु टी0एम0एस0 में क्लेम हेतु प्रेषित कर दी गई है जो कि अनुबंध का उल्लंघन, धोखाधड़ी एवं अवैध धनराशि की वसूली इंगित करता है।

3. अभिलेखों के अनुसार जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर में सूचीबद्ध किये जाने की तिथि से आतिथि दिनांक 16 अप्रैल 2019 तक कुल 67 मरीजों का ईलाज किया गया है जिसमें से कुल 41 केसेस रेफरल के आधार पर नियोजित केसेस (Planned cases) के रूप में भर्ती किये गये हैं। उपरोक्त 41 मरीजों में से 18 मरीजों को सी0एच0सी जसपुर से रेफरल स्लिप पर जसपुर मेट्रो का नाम अंकित करते हुए रेफर किया गया है तथा कई रेफरल स्लिप पर जसपुर मेट्रो के चिकित्सकों के नाम भी अंकित किये गये हैं जैसे:- डॉ0 लीला जोशी, डॉ0बी0के0 डालमिया तथा डॉ0 मिर्जा। इस प्रकार से by Hospital/ Doctor Name रेफरल किया जाना स्थापित व्यवस्था (established practice) के विरुद्ध है। उपरोक्त कृत्य जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा रेफरिंग हॉस्पिटल के साथ धोखाधड़ी एवं दुरभि संधि का संदेह उत्पन्न करता है।
4. यह भी संज्ञान में आया है कि निम्न 02 मरीजों के जसपुर मेट्रो चिकित्सालय में भर्ती होने के पश्चात् रेफरल स्लिप सी0एच0सी0 जसपुर चिकित्सालय से प्राप्त हुई है:-
 - रोगी का नाम गुलशन जहां उम्र 29 वर्ष महिला अटल आयुष्मान कार्ड संख्या PQO1NSJ5H diagnosis full term pragnency with Pr LSCS With oligo-Hydraamnios with loss fo foetal movement । उपरोक्त मरीज 19.04. 2019 को जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी तथा उसी दिन उसका प्रसव ऑपरेशन द्वारा हुआ था, परन्तु मरीज का रेफरल दिनांक 22.04.2019 को सी0एच0सी0 जसपुर से प्राप्त किया गया है।

- रोगी का नाम परवीन जहां उम्र 25 वर्ष महिला अटल आयुष्मान कार्ड संख्या PLNXO3H73 । मरीज को जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में दिनांक 08.04.2019 को भर्ती किया गया है, परन्तु उपरोक्त मरीज का रेफरल दिनांक 09.04.2019 को सी0एच0सी0 जसपुर से प्राप्त किया गया है।

मरीजों का इलाज हो जाने के पश्चात अथवा भर्ती होने के पश्चात रेफरल की व्यवस्था नहीं है। जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा रेफरल प्राप्त होने के पश्चात ही मरीजों को भर्ती या उनका इलाज किया जा सकता है। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध के सेक्शन 2 पैरा 4(iv) f में निम्न प्रावधान है:

“Section 2: Scope of services Para 4(iv) f : Packages as mentioned in Annex 2 can only be availed in Private EHCPs only after a referral from a Public EHCP is made.”

अतः जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा अनुबन्ध का उल्लंघन किया गया है। उपरोक्त कृत्य जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा रेफरिंग हॉस्पिटल के मध्य दुरभि संधि एवं धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

5. जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा मरीज श्रीमती मीनाक्षी आयु 38 वर्ष आयुष्मान कार्ड संख्या POY69M83G Diagnosis Chronic colecystitis with cholelithiasis रोग से ग्रसित थी। चिकित्सालय द्वारा डिस्चार्ज स्लिप पर मरीज के भर्ती का दिनांक 07.03.2019 अंकित किया गया है, परन्तु ऑपरेशन नोट्स में मरीज के भर्ती का दिनांक 01 मार्च 2019 अंकित किया गया है तथा एक अन्य अभिलेख में ऑपरेशन की तिथि 03.03.2019 अंकित की गई है। उक्त कृत्य अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत अवैधानिक लाभ लेने हेतु दस्तावेजों के कपटपूर्वक कूटरचित कर एवं मिथ्या/फर्जी होने और धोखाधड़ी किये जाने का संदेह उत्पन्न करता है।
6. अभिलेखों के अनुसार जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा कुल 67 मरीजों में से 26 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती होना दिखाया गया है। इन 26 मरीजों में से 17 मरीज Medical Management के इलाज हेतु तथा 09 मरीज Surgery के इलाज हेतु इमरजेंसी में भर्ती किये गये हैं। अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि ये केसेस इमरजेंसी के नहीं हैं, वरन् रेफरल को avoid करने के लिए इन्हें इमरजेंसी में दिखाया गया है। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के मध्य हुये अनुबन्ध में इमरजेंसी में भर्ती के सम्बन्ध में सेक्शन 4 पैरा 4 में निम्न प्राविधान है:

“Section 4: EHCP Services- Admission Procedure

Para 4. Emergency admission: In case of emergency the beneficiary may get the treatment after getting TPIN (Telephonic Patient Identification Number) from the call centre and same will be recorded. ...”

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा इन केसेस में TPIN नहीं लिया गया है अतः चिकित्सालय का यह कृत्य अनुबन्ध का उल्लंघन है एवं साथ ही धोखाधड़ी का संदेह उत्पन्न करता है।

7. जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत समस्त 67 केसेस में पैथोलॉजी रिपोर्ट पर किसी भी डाक्टर के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं तथा समस्त पैथोलॉजी जाँचें चिकित्सालय द्वारा इन-हाउस करवाई गई है। जिससे पैथोलॉजी जाँचों का फर्जी होना प्रतीत होता है।

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय को उक्त वर्णित अनियमितताओं हेतु यह "कारण बताओ नोटिस" दिया जाता है कि क्यो न-

- i. जसपुर मेट्रो चिकित्सालय की सूचीबद्धता निरस्त करते हुए उसका de-empament कर दिया जाये;
- ii. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत जसपुर मेट्रो चिकित्सालय के कुल 07 केसों के क्लेम की धनराशि रु0 64500/- जो चिकित्सालय द्वारा प्राप्त की गई है, वह अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना सोसाइटी को जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा वापिस की जाय;
- iii. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत जसपुर मेट्रो चिकित्सालय के शेष लम्बित 44 क्लेमों (धनराशि रु0 417100/-) को निरस्त कर दिया जाये, तथा
- iv. जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा मरीजों से जो नकद धनराशि अवैध रूप से प्राप्त की गयी है, अनुबन्ध के प्राविधान के अनुसार उसके 5 गुने के बराबर धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में वसूल कर लिया जाय।

जसपुर मेट्रो चिकित्सालय द्वारा उक्त "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 दिन का समय दिया जाता है। यद्यपि उक्त आरोपों के सम्बन्ध में स्वयं जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल को यह अवसर भी दिया जाता है कि वह उक्त 15 दिन की अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। यदि निर्धारित अवधि में चिकित्सालय द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि चिकित्सालय द्वारा उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और चिकित्सालय के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

उक्त लगाए गए आरोपों के क्रम में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा किये गए अनुबंध में दंड के प्राविधान Annexure 6: Process for Disciplinary Proceedings And De-Empament में उल्लेख की गई व्यवस्था के अनुसार अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में सूचीबद्ध जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर की सूचीबद्धता (empament) तत्काल प्रभाव से (जब तक अंतिम निर्णय न हो जाए) निलंबित की जाती है ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस

विषय पर अंतिम निर्णय होने तक जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल की login को राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्यवाही भी की जाये तथा जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल के वर्तमान में लम्बित समस्त देयकों को अंतिम निर्णय होने तक प्रतीक्षा (abeyance) में रखा जाए।

(युगल किशोर पंत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को विशेष रूप से इस आदेश के बिंदु संख्या 03 एवं 04 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
3. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
5. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधम सिंह नगर।
7. राज्य समन्वयक, कियान्वयन सहायता एजेंसी।
8. मो0 यूनस चौधरी, प्रबंधक जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, आवास विकास, निकट तहसील रोड, पत्रमपुर, जसपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।

(युगल किशोर पंत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना